

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-03112020-222915
SG-DL-E-03112020-222915

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 236]	दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 2, 2020/कार्तिक 11, 1942	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 184
No. 236]	DELHI, MONDAY, NOVEMBER 2, 2020/KARTIKA 11, 1942	[N. C. T. D. No. 184

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

सहकारिता विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 2 नवम्बर, 2020

सं.फा.-47/पॉलिसी/आरसीएस/2012/243/177.—दिल्ली सहकारी समितियां अधिनियम, 2003 (2004 का दिल्ली अधिनियम-3) की धारा 114 की उपधारा (1) तथा (2) तथा दिल्ली सहकारी समितियों अधिनियम, 2003 द्वारा पठित नियम 3, 4, 9, एवं 10 और दिल्ली सहकारी न्यायाधिकरण नियम, 2006 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री आलोक अग्रवाल, सेवानिवृत्त, (दिल्ली उच्चतर न्यायालय सेवाएँ) को दिल्ली सहकारी न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में दिनांक 02.11.2020 से तीन वर्ष के लिए पुनर्नियुक्ति के आधार पर पद ग्रहण करने की तिथि से नियुक्त किया जाता है। सेवा की अन्य शर्तें वह होंगी, जो दिल्ली सहकारी न्यायाधिकरण नियम, 2006 में दी गई हैं।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर
रंजीत सिंह, अतिरिक्त-पंजीयक (सहकारिता)

OFFICE OF THE REGISTRAR CO-OPERATIVE SOCIETIES**NOTIFICATION**

Delhi, the 2nd November, 2020

No. F. 47/Policy/RCS/2012/243/177.—In the exercise of powers conferred by sub sections (1) and (2) of section 114 of The Delhi Co-operative Societies Act, 2003 (Delhi Act No. 03 of 2004) and read with Rules 3, 4, 9 and 10 of the Delhi Co-operative Tribunal Rules, 2006, the Government of National Capital Territory of Delhi hereby appoints **Sh. Alok Aggarwal (Retired) DHJS as Chairman of Delhi Co-operative Tribunal w.e.f. 02.11.2020** on re-employment basis. Tenure will be for a total period of 03 (Three) years with effect from the date he takes over the charge of Delhi Co-operative Tribunal as Chairman. Other terms and conditions of service shall be as envisaged in the Delhi Co-operative Tribunal Rules, 2006.

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor of the

National Capital Territory of Delhi.

RANJEET SINGH, Addl. Registrar, Co-operative Societies